2.24.1

वन पंचायत लमजिंगड़ा की बैठक कार्यवाही

दिनांक 1-8-18 को वन पंचायत लमजिंगड़ा की बैठक हुई जिसमें **जिला** जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0

सरपंच [signature]

सरपंच
वन पंचायत लमजिंगड़ा
पो0- महरुड़ी वि0ख0- कपकोट
जनपद- बागेश्वर

दिनांक :– 01-8-18

स्थानः– लमजिंगड़ा

प्रतिलिपि अधिषासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

सरपंच [signature]

सरपंच
वन पंचायत लमजिंगड़ा
पो0- महरुड़ी वि0ख0- कपकोट
जनपद- बागेश्वर

1. खुशालसिंह — खुशालसिंह
2. प्रयाग पंत — Piryato.
3. लक्ष्मी पंत — लक्ष्मी पंत
4. प्रेमसिंह — प्रेमसिंह
5. प्रेमसिंह — PREM.

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– लमजिंगड़ा (छिपछिया)
तहसील का नाम काण्डा , जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद. **बागेश्वर** के अन्तर्गत **दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0** परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि **0.00** हे0 सिविल सोयम भूमि **1.400** हे0 वन पंचायत भूमि **0.700** हे0) अर्थात कुल **2.100** हे0 वनभूमि का **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट** के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लमजिंगड़ा द्वारा दिनांक 01-8-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लमजिंगड़ा (छिपछिया) के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र... वि0ख0 कपकोट जिला–बागेश्वर

ह0/– [signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत लमजिंगड़ा
वि0ख0–कपकोट, जिला–बागेश्वर
ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 01-8-18 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत लमजिंगड़ा

क्रमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1-	होशियार सिंह	[illegible]
2-	दीपा देवी	दीपादेवी
3-	प्रेमा देवी	प्रेमा देवी
4-	दान सिंह	दानसिंह
5-	दुर्गा लाल	[illegible]
6-	हिमांशु	Himaanshu
7-	दीपक जोशी	[illegible]
8-	नितिन जोशी	[illegible]
9-	मन्जू देवी	मन्जू देवी
10-	हेमा देवी	हेमा देवी
11-	गणेश सिंह	[illegible]
12-	हरीश लाल	हरीश लाल
13-	कौशल्या देवी	कौशल्या
14-	महेश लाल	महेश लाल
15-	सुनीता देवी	सुनीता
16-	दीपा साह	दीपा साह
17-	हीरा सिंह	Hira
18-	पदम सिंह	पदम सिंह
19-	हंसी देवी	हंसी देवी
20-	प्रमा देवी	प्रमा देवी

ह0/–
ग्राम प्रधान

[signature and stamp: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्रा. लमजिंगड़ा]

[signature and stamp: प्रधान, ग्राम पंचायत लमजिंगड़ा, वि0ख0-कपकोट, जिला- बागेश्वर]

2.24.1

वन पंचायत मझेड़ा... की बैठक कार्यवाही

दिनांक 02-8-18 को वन पंचायत मझेड़ा........ की बैठक हुई जिसमें **जिला** जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0 Lalit Ram

सरपंच

दिनांक :– 02-8-18

स्थानः– मझेड़ा

प्रतिलिपि अधिषासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Lalit Ram 2-8-2018

सरपंच

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

प्रताप राम – सोवन राम – प्रतापराम
बच्ची राम – „ – बच्ची राम
मन्जु देवी w/o मोहनराम – मन्जु देवी
प्रेम राम – जौहार राम – PremRAM
रामू – s/o खुशालराम – रामू

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– मझेड़ा

तहसील का नाम **काण्डा** , जिला **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद. **बागेश्वर** के अन्तर्गत **दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0** परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि **0.00** हे0 सिविल सोयम भूमि **1.400** हे0 वन पंचायत भूमि **0.700** हे0) अर्थात कुल **2.100** हे0 वनभूमि का **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट** के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मझेड़ा द्वारा दिनांक 02-8-18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मझेड़ा के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

ह0 / –
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत मझेड़ा वि0ख0 कपकोट

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 02-8-18 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मझेड़ा

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
	मनोज राम S/o दिवान राम	[illegible]
	खिलानन्द S/o किशन राम	खिलानन्द
	मंगल राम S/o बच्ची राम	मंगल राम
	प्रेम राम S/o शोबन राम	प्रेम राम
	चन्दन राम S/o बची राम	चन्दन राम
	रमेश राम S/o कुशल राम	रमेश राम
	प्रेम राम S/o जोहार राम	Prem
	बची राम S/o सोबन राम	बची राम
	उदय राम S/o शोबन राम	उदय राम
	गोपाल राम S/o रघुवर राम	गोपाल राम
	गोपाल S/o किशन राम	Gopal

ह0/–
ग्राम प्रधान

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत मझेड़ा
वि0ख0 कपकोट (बागेश्वर)

[signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र मझेड़ा
विकास खण्ड कपकोट जिला बागेश्वर

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी......कपकोट.........
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,....कपकोट..............

उपखण्ड **कपकोट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0** (आरक्षित वन भूमि **0.00** हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि **1.400** हे0 वन पंचायत भूमि **0.700** हे0 अर्थात कुल **2.100** हे0 वन भूमि) का **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुगनाकुरी / कपकोट) की दिनांक..10-10-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुगनाकुरी / कपकोट) की दिनांक 10-10-18......को सम्पन्न बैठकको कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री..राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री राकेश चन्द्र तिवारी......उपजिलाधिकारी.......कपकोट, बागेश्वर.......अध्यक्ष
2– श्री .....बलवन्त सिंह शाही.....उप प्रभागीय वनाधिकारी.......बागेश्वर.......सदस्य
3– श्री .....गिरीश न्यूली.............सहायक समाज कल्याण अधिकारी.......बागेश्वर.....सदस्य / सचिव
4– श्री .....गोकुल सिंह परिहार.......बी0डी0सी0 क्षेत्र......[illegible].............सदस्य

कनिष्ठ प्रमुख
कपकोट जनपद–बागेश्वर
(उत्तराखण्ड)

उपजिलाधिकारी
कपकोट (बागेश्वर)

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद–बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0** परियोजना हेतु **2.100** हे0 वन भूमि **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी **बागेश्वर** अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में **दोफाड–धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी** परियोजना के निर्माण हेतु **2.100** हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कांडा......
जनपद......बागेश्वर......

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी......बागेश्वर......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कांडा......
जनपद......बागेश्वर......

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी......काण्डा......
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,......कपकोट......

उपखण्ड **कपकोट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0** (आरक्षित वन भूमि **0.00** हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि **1.400** हे0 वन पंचायत भूमि **0.700** हे0 अर्थात कुल **2.100** हे0 वन भूमि) का **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~दुगनाकुरी / कपकोट~~ काण्डा) की दिनांक 10.10.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुगनाकुरी / कपकोट) की दिनांक 10.10.18 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री राकेश चन्द्र तिवारी......उपजिलाधिकारी काण्डा, बागेश्वर......अध्यक्ष
2– श्री बलवन्त सिंह शाही......उप प्रभागीय वनाधिकारी......बागेश्वर सदस्य
3– श्री गिरीश पुरी......सहायक समाज कल्याण अधिकारी......बागेश्वर......सदस्य / सचिव
4– श्रीमती गाउली देवी......बी0डी0सी0 क्षेत्र चौनाला......सदस्य

गाऊली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठककी कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **दोफाड धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0** परियोजना हेतु **2.100** हे0 वन भूमि **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी **बागेश्वर** अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में **दोफाड–धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी** परियोजना के निर्माण हेतु 2.100 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

10/10/2018

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड बागेश्वर
जनपद-बागेश्वर

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
बागेश्वर
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....काण्ड.....
जनपद.....बागेश्वर.....

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी.....बागेश्वर.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड बागेश्वर
जनपद-बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
बागेश्वर
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....काण्ड.....
जनपद.....बागेश्वर.....

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ..Ranjana Rajguru.. I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 20-10-18..... at time ....pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Chipchiya** area measuring **2.100** hect for the Construction of **Dofar Dharamghar Kotmanya motor road to Chipchiya under Distt sector (4.00Km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

C.S.
20/10/18
जिलाधिकारी
बागेश्वर

Place: Bageshwar

Dated: 20/10/2018

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

Form-1

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated*…20/10/2018

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.100** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Dofar Dharamghar Kotmanya motor road to Chipchiya under Distt sector (4.00Km)** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.100** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure…..**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers**.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;……**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated- 20/10/2018

20/10/18

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated.20/10/2018*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified **2.100** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Dofar Dharamghar Kotmanya motor road to Chipchiya under Distt sector 1.00Km)**It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.100** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure……..to annexure…….
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Chipchiya** Village (s) is enclosed as annexure……..
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

20/10/18

जिलाधिकारी

District Collector

Bageshwar